[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, ..19.. मार्च, 2015

सा.का.नि. ..... (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 108 के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें।

2. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 में नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"20. **इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान** - (1) इस नियम के प्रारंभ में उपबंध उन साधारण अधिवेशनों के संबंध में लागू होंगे जिनके लिए इस नियम के लागू होने की तारीख को अथवा उसके पश्चात नोटिस जारी की गई हो।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) नियमन, 2009 के अध्याय Xख अथवा अध्याय Xग में उल्लिखित कंपनी से भिन्न कंपनी जिसके किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध साधारण शेयर है या कोई कंपनी जिसके कम-से-कम एक हजार सदस्य है, अपने सदस्यों को साधारण बैठकों में विचार करने हेतु प्रस्तावित संकल्पों पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा देगी।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, पद-

(i) "अभिकरण" से नेशनल सेक्यूरिटीज डिपोजिटिरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपोजिटीरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड अथवा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्था अभिप्रेत है बशर्ते नेशनल सेक्यूरिटीज डिपोजिटिरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपोजिटीरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड अथवा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्था ने मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,

भारत सरकार से स्पष्टीकरण (vi) के अधीन निर्दिष्ट मानकों के अनुपालन सहित प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो;

(ii) "अंतिम तारीख" उस तारीख से वह अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा अथवा साधारण अधिवेशन में मतदान के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु साधारण अधिवेशन की तारीख से कम-से-कम सात दिन पहले हो;

(iii) 'साइबर सुरक्षा' सूचना, उपकरण, युक्ति, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर संसाधन, संचार युक्ति और उसमें भंडारण की गई सूचना की अनाधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, विघटन, परिवर्तन अथवा विनाश होने से सुरक्षित करना अभिप्रेत है;

(iv) "इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली" एक ऐसी रीति से इलेक्ट्रानिक मतपत्र के प्रदर्शन, सदस्यों के मतों को दर्ज करना और पक्ष अथवा विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या दर्शाने वाली 'सुरक्षित प्रणाली' आधारित प्रक्रिया से है कि इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा किए गए संपूर्ण मतदान की पर्याप्त 'साइबर सुरक्षा' के साथ एक केंद्रीकृत सर्वर में इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री में रजिस्ट्रीकरण और गणना की जाए अभिप्रेत है;

(v) "दूरस्थ ई-मतदान" से ऐसा अभिप्रेत है जो किसी सदस्य द्वारा किसी साधारण अधिवेशन के स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली का उपयोग करके मत देने की सुविधा से है;

(vi) 'सुरक्षित प्रणाली' कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रक्रिया से अभिप्रेत है जो -

(क) अनाधिकृत पहुंच और दुरूपयोग से युक्ति युक्त से सुरक्षित है;

(ख) विश्वसनीयता और सही परिचालन का उचित स्तर उपलब्ध कराता है;

(ग) अभिप्रेत कार्यों के निर्वाह में उचित रूप से अनुकूल है; और

(घ) साधारण रूप से स्वीकृत सुरक्षा प्रक्रियाओं का अनुपालन करता है;

(vii) "इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान" "दूरस्थ ई-मतदान" सम्मिलित है जिसमें साधारण अधिवेशन में इलेक्ट्रानिक मत प्रणाली के माध्यम से किया गया मतदान है जिसे दूरस्थ ई-मतदान के लिए उपयोग किया जाए।

(3) कोई सदस्य उपनियम (2) में निर्दिष्ट संकल्पो पर इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और कंपनी इन नियम के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे संकल्प पारित करेगी।

(4) कोई कंपनी जो अपने सदस्यो को इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान करने की सुविधा देती है, को निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी, अर्थात्:-

(i) अधिवेशन की नोटिस कंपनी के सभी सदस्यों, निदेशकों और लेखापरीक्षकों को इनमें से एक द्वारा भेजी जाएगी-

(क) रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा; या

(ख) इलेक्ट्रानिक माध्यम से, अर्थात, प्राप्तकर्ता की रजिस्ट्रीकृत ई-मेल आईडी से; या

(ग) कुरियर सेवा द्वारा;

(ii) यह नोटिस सदस्यों को भेजने के पश्चात् कंपनी और अभिकरण की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर भी रखी जाएगी;

(iii) अधिवेशन की नोटिस में स्पष्ट बताया जाएगा-

(अ) कि कंपनी इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान की सुविधा दे रही है और उसका संव्यवहार ऐसे मतदान द्वारा किया जाएगा;

(आ) कि मतदान, चाहे इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली या मतपत्र या मत दस्तावेज द्वारा हो, की सुविधा अधिवेशन में दी जाएगी और अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना मत पहले नहीं दिया है, अधिवेशन में अपने मताधिकार का प्रयोग समर्थ कर सकेंगे।

(ग) कि जिन सदस्यों ने अधिवेशन से पहले दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना मत दे दिया है, वे अधिवेशन में भाग ले सकते है किंतु अपना मत पुनः देने का पात्र नहीं होगा;

(iv) नोटिस में -

(अ) इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया और रीति दर्शित जाए;

(आ) समय अवधि, सहित समय अनुसूची जिसके दौरान दूरस्थ ई-मतदान द्वारा मत डाले जाएंगे, का उपदर्शित किया जाए;

(इ) लॉगिन आईडी के बारे में ब्यौरें दिए जाएं;

(ई) पासवर्ड बनाने या प्राप्त करने और सुरक्षित रीति से मतदान करने की सृजित और रीति का विनिर्दिष्ट किया जाए।

(v) कंपनी, नियम 20 के उपनियम (4) के खंड (i) के अधीन अधिवेशन के लिए नोटिस प्रेषित करने के तत्काल बाद किंतु साधारण अधिवेशन की तारीख से कम-से-कम इक्कीस दिन पहले उस जिले, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, के प्रांतीय समाचार पत्र, जो उस जिले में व्यापक परिचालित होता हो, में मुख्य प्रांतीय भाषा में कम-से-कम एक बार और देशभऱ परिचालित होने वाले अंग्रेजी समाचारपत्र में अंग्रेजी भाषा में कम-से-कम एक बार प्रकाशित करेगी और उस विज्ञापन में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित विषय निर्दिष्ट किए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) कथन के कारबार का संव्यवहार इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान से किया जा सकेगा;

(ख) दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ करने की तारीख और समय;

(ग) दूरस्थ ई-मतदान समाप्त करने की तारीख और समय;

(घ) निर्णायक तारीख;

(ङ) पद्यति जिसकी रीति नोटिस, प्रेषित करने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करने और सदस्य बनने वाले व्यक्ति लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभिप्राप्त करेंगे;

(च) कथन कि -

(अ) उक्त समय और तारीख के परे दूरस्थ ई-मतदान की अनुज्ञात नही होगी;

(आ) रीति जिसमें कंपनी अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा मतदान को प्रदान देगी; और

(इ) कोई सदस्य, दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी साधारण अधिवेशन में भाग ले सकता है किंतु उसे अधिवेशन में पुनः मत देने की अनुज्ञा नहीं होगी; और

(ई) कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या निक्षेपकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले लाभप्रद स्वामियों के रजिस्टर में अंतिम तारीख तक अभिरक्षित है, को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा का साथ-साथ साधारण अधिवेशन में मतदान करने का पात्र होगा;

(छ) कंपनी और उस अभिकरण, के वेबसाइट का पता यदि कोई हो, का जहां अधिवेशन की नोटिस प्रदर्शित की गई है; और